यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAMASTE)

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बरेली में **राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य योजना (NAMASTE)** पर केंद्रित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- इसका **उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना** तथा सुरक्षित, सम्मानजनक आजीविका को बढ़ावा देना था।

मुख्य बिंदु

- **NAMASTE के बारे में:**
  - **यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE)** तथा **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा एक सहयोगी पहल है।
  - इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिये 349.73 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ **केंद्रीय प्रायोजित योजना** के रूप में वित्तीय वर्ष **2023-24 में लॉन्च किया गया था।**
  - इसका मुख्य उद्देश्य **मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना** तथा **सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना है।**
- **मुख्य घटक:**
  - **नगर स्थानीय निकायों (ULBs)** द्वारा नियुक्त **SSWs** का **विवरण एकत्र** करना ताकि **लक्षित हस्तक्षेप** किये जा सकें।
  - **SSWs को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** के तहत व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE)** किट और स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होता है।
  - यह योजना **SSWs को** "सैनिप्रिन्योर्स" या स्वच्छता उद्यमी बनाने के लिये **पूंजी सब्सिडी** प्रदान करके **स्वरोज़गार और औपचारिक रोज़गार को बढ़ावा देती है।**
  - **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** में लगे कचरा बीनने वालों को वर्ष 2024 में NAMASTE योजना के तहत एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।
- **कार्यक्रम का महत्त्व**
  - यह कार्यक्रम सफाई कर्मचारियों की **सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की** दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिन्हें अक्सर खतरनाक कार्य वातावरण और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।
  - NAMASTE के अंतर्गत मशीनीकरण पर ज़ोर देने से मैनुअल स्कैवेंजिंग में कमी आती है तथा **स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य स्थितियों को बढ़ावा मिलता है।**
  - (**AB-PMJAY**) के तहत आयुष्मान कार्डों का वितरण **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है,** जो व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों के संपर्क में आने वाले श्रमिकों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - सिलाई मशीनें उपलब्ध कराने से **वैकल्पिक आजीविका के अवसरों** को बढ़ावा मिलता है, जिससे **कौशल का विविधीकरण** होता है और **आर्थिक स्थिरता** सुनिश्चित होती है।
  - NAMASTE सरकार के **सामाजिक न्याय, समावेशन और** हाशिये पर पड़े समुदायों के कल्याण के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है।
  - यह कार्यक्रम **सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को** प्राप्त करने में मदद करता है, विशेष रूप से स्वच्छ कार्य, स्वास्थ्य और कल्याण (SDG 3 और 8) से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में।

मैनुअल स्कैवेंजिंग

- मैनुअल स्कैवेंजिंग को "सार्वजनिक सड़कों और शुष्क शौचालयों से मानव मल को हटाना, सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर की सफाई करना" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भारत ने **मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR)** के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- यह अधिनियम हाथ से मैला ढोने की प्रथा को **"अमानवीय प्रथा"** के रूप में परिभाषित करता है और मैनुअल स्कैवेंजरों द्वारा सामना किये जाने वाले **ऐतिहासिक अन्यायों से मुक्त** कराने का प्रयास करता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित योजनाएँ

- मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिये स्वरोज़गार योजना (SESRM)
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)
- राष्ट्रीय गरिमा अभियान
- स्वच्छ भारत मिशन 2.0
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-action-plan-for-mechanized-sanitation-ecosystem-namaste